फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	8/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट पाटन में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण की पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत पाटन ने की है। केम्प कोर्ट के दौरान तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इकरारनामा प्रार्थनापत्र की पालना हो चुकी है अब उक्त प्रकरण को आगे चलाया जाने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्व लोक अदालत द्वारा गठित कमेटी के निर्णय नुसार इकरारनामा प्रा. पत्र की पालना होने पर प्रा. पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नस्ती में की जावे। आज दिनांक 8.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट पाटन में सबके आम में सुनाया गया। 8.5.18.	

कमेटी सदस्य
रमेश चन्द शर्मा
पंचायत समिति

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन
पंचायत समिति बस्सी (जयपुर)